सत्यमेव जयते

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड
ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA

(संसद अधिनियम के अधीन स्थापित)
(Established under the Act of Parliament)
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Govt. of India
(पशुपालन और डेयरी विभाग)
(Department of Animal Husbandry and Dairying)
42, माइलस्टोन, दिल्ली-आगरा हाईवे, एन.एच. -2, बल्लभगढ, फरीदाबाद – 121004 (हरियाणा)
42 Mile Stone, Delhi-Agra Highway, NH-2, Ballabhgarh, Faridabad-121004 (Haryana)
Tel. 0129-2555700, Email: support-awbi@gov.in, Website: www.awbi.gov.in

मान्यता नवीनीकरण प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE OF RENEWAL OF RECOGNITION

मान्यता कोड सं./**Recognition Code No.** MH175/2018

प्रमाणित किया जाता है कि /*Certified that* UTKARSH GLOBAL FOUNDATION, 1107, RAHUL NAGAR, MULUND COLONY, MULUND (WEST), MUMBAI - 400082

को भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा दिनांक ______ को मान्यता प्रदान की गयी थी जिसे बोर्ड द्वारा दिनांक ______ से ______ तक पांच वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया है /*has been granted recognition by the Animal Welfare Board of India on* 17.09.2019 *which has been renewed by the Board on* 14.05.2025 *and valid till* 13.05.2030 *for 5 years.*

मान्यता नवीनीकरण की तिथि: ______
Date of Renewal of Recognition: 14.05.2025

सचिव
Secretary

यह मान्यता पशु जन्मदर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मान्य नहीं है।
THIS RECOGNITION IS NOT VALID FOR ANIMAL BIRTH CONTROL PROGRAM.
(Please see enstruction no. 7 at overleaf for ABC)
जीव जन्तु कल्याण मानव कल्याण है – जीओ और जीने दो
ANIMAL WELFARE IS HUMAN WELFARE – LIVE AND LET LIVE

संस्थाओं के कर्तव्य और कार्य:

1. संस्था एक उचित प्रशासनिक संरचना और एक विधिवत गठित प्रबंध समिति बनाए रखेगा। प्रबंध समिति में कोई भी बदलाव रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी द्वारा अनुमोदन के एक महीने के भीतर बोर्ड कार्यालय को सूचित किया जाएगा।
2. संस्था उप-नियमों के रूप में इसकी गतिविधियों और उन उप-नियमों में किसी भी विलोपन या समावेशन को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी द्वारा अनुमोदन के एक महीने के भीतर बोर्ड कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।
3. किसी संस्था द्वारा की जाने वाली पशु कल्याण गतिविधियों के प्रकार एवं उनका विवरण अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों में उल्लिखित होना चाहिए।
4. संस्था स्थानीय निकायों / व्यक्तियों / संस्थाओं, स्थानीय निकायों के व्यक्तियों, संस्थाओं अनुसंधान संस्थानों से बेघर / बचाए गए / उपचारित / रोगी / बूढ़े पशुओं को बोर्ड के निर्देश पर संस्था में स्थान की उपलब्धता और क्षमता के आधार पर पुनर्वास के लिए स्वीकार करेगा।
5. संस्था को पशुओं को अनावश्यक दर्द या पीड़ा को रोकने या पशुओं और पक्षियों की सुरक्षा के उद्देश्य से स्थापित स्थानीय निकायों या राज्य पशु कल्याण बोर्ड या एसपीसीए के उक्त कार्यों में समन्वय करना चाहिए।
6. पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार के संबंध में शिक्षा प्रदान करना और पशुओं को अनावश्यक दर्द या कष्ट से बचाने हेतु व्याख्यान, पुस्तकों, पोस्टरों, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देना एवं जनमत तैयार करने को प्रोत्साहित करना।
7. **यह मान्यता एबीसी कार्यक्रम के लिए मान्य नहीं है जिसके लिए मौजूदा एबीसी नियमों के अनुसार अलग से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।**

इसके अतिरिक्त, पर्याप्त सुविधाओं वाले मान्यता प्राप्त संस्था निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेंगे: -

1. घायल एवं बीमार पशुओं को पशु चिकित्सा उपलब्ध कराना।
2. संकटग्रस्त पशुओं को एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना।
3. पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के अनुसार आवारा कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी करना।
4. प्राकृतिक आपदाओं के समय विशेष रूप से चक्रवात, बाढ़, सूखा, अकाल, जंगल / गांव की आग, भूकंप, भूस्खलन, भारी बर्फबारी, ओलावृष्टि, महामारी और किसी भी अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों में बेसहारा और बीमार / उपेक्षित पशुओं की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना।
5. जब तक बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्देशित न किया जाए, संस्था किसी भी प्रतिष्ठान से किसी भी पशु का निरीक्षण या अतिक्रमण या जब्ती नहीं करेंगे।

अभिलेख का रखरखाव:

1. प्रत्येक संस्था बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके और प्रारूप में 5 वर्षों का अभिलेख बनाए रखेगी।
2. प्रत्येक संस्था-
   (क) प्रत्येक वर्ष के अंत में, बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें हर वर्ष बचाए गए, पुनर्वासित, उपचारित, ऑपरेशन किये गये और गोद लेने के लिए भेजे गए पशुओं की कुल संख्या की जानकारी शामिल होगी;
   (ख) प्रत्येक वर्ष के अंत में, आय के स्रोत, पशु कल्याण गतिविधियों, लेखापरीक्षित खातों और वार्षिक रिपोर्ट जैसी जानकारी बोर्ड को हर साल प्रस्तुत करेगी;

निरीक्षण करने की शक्ति:

1. बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर किसी भी संस्था का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त करेगा।
2. निरीक्षण प्राधिकारी को निम्नलिखित की शक्ति होगी-
   (क) किसी भी उचित समय पर संस्था में प्रवेश करना और संस्था के भीतर सभी क्षेत्रों और सभी पशुओं और अभिलेखों तक पहुंच बनाना, यह सुनिश्चित करना कि क्या इन नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है;
   (ख) तस्वीरें लेने, वीडियो रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की प्रतियां बनाने के लिए।
3. निरीक्षण प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।

संस्था द्वारा दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन:

1. यदि निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद बोर्ड की राय है कि संस्था द्वारा किसी भी आवश्यकता का उल्लंघन किया गया है, तो वह संस्था को रिपोर्ट की एक प्रति और कारण बताने का अवसर देने के बाद, मान्यता प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है तथा वह उसके कारणों को लिखित रूप में संस्था को संप्रेषित करेगा।
2. निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

मान्यता का नवीनीकरण:

1. मान्यता के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से संस्था की मान्यता की समाप्ति से 90 दिन पहले बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।
2. मान्यता के नवीनीकरण के लिए गौशालाओं को छोड़कर संस्था द्वारा नवीनीकरण के आवेदन के साथ रू. 5000/- की फीस का भुगतान किया जाएगा।